निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 62/2024
दायरा दिनांकः–11.11.2024
निर्णय दिनांकः– 29.7.25

उनवान

1. कैलाश उर्फ कैलाशचंद पुत्र प्रेमनारायण उर्फ परमा जाति तेली निवासी गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 29.7.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अब्दुल हसीब आलम – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 42 की खसरा नंबर 369/1024 रकबा 0.1265 है0, खसरा नंबर 374 रकबा 0.3161 है0, खसरा नंबर 374/2 रकबा 0.0379 है0, खसरा नंबर 692 रकबा 1.4668 है0, खसरा नंबर 782 रकबा 0.8852 है0 कुल किता पांच रकबा 2.8325 है0 भूमि वाके माल गोड़ियामेहर तहसील छबड़ा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/12+1/3 कुल 5/12 निहित है। प्रार्थी के पिता का उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात में 1/3 हिस्सा था। प्रार्थी के पिता का नाम परमा आत्मज चम्पालाल था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात जर्ये फोती इंतकाल संख्या 578 से प्रार्थी के नाम शामलाती खाते के रूप में दर्ज हुई। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है। जिसमें प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र परमा दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित कृषि आराजियात में से 1/3 भाग जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा दिनांक 01.06.1999 को गेन्दालाल, हंसराज पुत्रगण मिश्री, कमलाबाई पुत्री मिश्री, कंचनबाई बेवा मिश्री जातियान तेली निवासीगण गोड़ियामेहर तहसील छबड़ा से कय कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसमें प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नाम केता के रूप में कैलाशचंद आत्मज प्रेमनारायण जाति तेली निवासी गोडियामेहर हसील छबड़ा दर्ज हो गया तथा उसी के अनुसार जमाबंदी में अंकन हुआ। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी में अपना हिस्सा 1/12 जर्ये फोती इंतकाल प्राप्त हुआ तथा 1/3 कय करने के कारण प्राप्त हुआ। इस कारण प्रार्थी का हिस्सा 5/12 है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र परमा हिस्सा 1/12 तथा कैलाशचंद पुत्र प्रेमनारायण हिस्सा 1/3 दर्ज हो रहा है। जबकि दोनों व्यक्ति एक ही है और वह प्रार्थी है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख जमाबंदी में 5/12 भाग पर अपना नाम कैलाश उर्फ कैलाशचंद आत्मज प्रेमनारायण उर्फ परमा जाति तेली निवासी गोड़ियामेहर तहसील छबड़ा दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम शंकर कॉलोनी गोडियामेहर तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 42 नकल जमाबन्दी ग्राम शंकर कॉलोनी गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 42 आधार कार्ड, विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1999 नकल नामान्तरण संख्या 578 ग्राम गोडियामेहर दिनांक 23.06. 2000 नकल नामान्तरण संख्या 563 दिनांक 23.06.2000 ग्राम गोडियामेहर पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/12 + 1/3 कुल 5/12 निहित है प्रार्थी के पिता की उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा था प्रार्थी के पिता का नाम परमा पुत्र चम्पालाल था। पिता की मृत्यु के पश्चात् फोती नामान्तरण संख्या 578 से प्रार्थी के नाम शामलाती खाते में 1/12 हिस्सा दर्ज हुआ प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र परमा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी ने उक्त आराजी में से 1/3 भाग जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 01.06.1999 को गेन्दालाल, हंसराज पुत्र मिश्री, कमला बाई पुत्री मिश्री कंचन बाई बेवा मिश्री जाति तेली निवासी गोडियामेहर से क्रश कर कबजा प्राप्त किया था। जिसमें प्रार्थी का नाम कैलाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण जाति तेली निवासी गोडियामेहर दर्ज हो गया। प्रार्थी को फोती नामान्तरण से 1/12 हिस्सा एवं क्रय करने से 1/3 हिस्स प्राप्त हुआ इस कारण प्रार्थी का 5/12 हिस्सा है प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र परमा हिस्सा 1/12 केलाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण हिस्सा 1/3 दर्ज हो रहा है दोनो नाम प्रार्थी के है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कैलाश उर्फ कैलाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण उर्फ परमा दर्ज करने का आदेश फरमावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम गोडियामेहर की भूमि आराजी खसरा नम्बर 369/1024, 374, 374/2, 692 किता 4 रकबा 1.9478 है0 में वर्तमान जमाबन्दी क्रम संख्या 3 पर कैलाश पुत्र परमा हिस्सा 1/12 जाति तेली सा0देह खातेदार एवं क्रम संख्या 4 पर कैलाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण हिस्सा 1/3 जाति तेली सा0देह खाते दर्ज है वादी के पिता का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2057–60 में परमा पुत्र चम्पालाल दर्ज था। नामान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ा 578 दिनांक 23.06.2000 विरासत से उक्त भूमि में वादी का नाम कैलाश पुत्र परमा ा हुआ। एवं नामान्तरण संख्या 562 दिनांक 23.06.2000 को जर्ये बेचान नामा कैलाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण दर्ज हुआ है तब से लेकर आदिनांक तक दोनो नाम जमाबन्दी में अलग–अलग ही दर्ज चले आ रहे है वादी/प्रार्थी के दस्तावेज में नाम कैलाया पुत्र परमा दर्ज है ग्राम गोडियामेंहर के खात संख्या 42 किता 4 रकबा 1.9473 है0 सहखातेदारान एवं मोतविरान से जानकारी पर पाया गया कि प्रार्थी को कैलाश एवं कैलाशचन्द दोनो नामों से व प्रार्थी के पिता को परमा व प्रेमनारायण दोनो नामों से जाना जाता है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 42 में कैलाश पुत्र परमा हिस्सा 1/12 एवं कैलाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण हिस्सा 1/3 दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड में कैलाश पुत्र परमा दर्ज है विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1999 के अनुसार गेन्दालाल, हंसराज, पुत्र मिश्री कमला बाई पुत्री मिश्री एवं कंचन बाई बेवा मिश्री जाति तेली 1/3 हिस्सा ग्राम गोडियामेहर का बेचान कैलाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण जाति तेली को किया जाना पाया जाता है नामान्तरण संख्या 578 दिनांक 23.06.2000 परमा का फोती नामान्तरण उनके वारिसान कैलाश रमेश, पुत्र विमला पुत्री ललता बाई बेवा परमा हिस्सा 1/3 दर्ज हुआ। नकल नामान्तरण संख्या 563 दिनांक 23.06.2000 बेचान पत्र के आधार पर क्रेता कैनाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण के नाम दर्ज हुआ। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करते समय विक्रय पत्र में कैलाशचन्द पुत्र प्रेमनारायण दर्ज था तथा फोती नामान्तरण दर्ज करतें समय कैलाश पुत्र परमा दर्ज है। तहसीलदार छबडा ने भी अपनी रिपोर्ट में कैलाश व कैलाशचन्द पुत्र परमा व प्रेमनारायण दोनो व्यक्ति एक ही होना बताया है। तथा दोनो नामों से जाना जाता है। प्रार्थी का प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर कैलाशचन्द व कैलाश एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 369/1024 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 374 रकबा 0.3161 है0 खसरा नम्बर 374/2 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 692 रकबा 1.4668 है0 खसरा नम्बर 782 रकबा 0.8852 है0 कुल किता 5 रकबा 2.8325 है0 में प्रार्थी का नाम कैलाश उर्फ कैलाशचन्द पुत्र परमा उर्फ प्रेमनारायण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबड